न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2695–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 21/2015–16/अपील.

.....

हरज्ञान पुत्र श्री नोनकराम
निवासी ग्राम जहॉगीर कटरा मदनकुइया,
पावर हाउस के पास ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–भगवानसिंह पुत्र श्री पातीराम
2–जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
निवासीगण ग्राम जहॉगीर कटरा, रानीपुरा,
ग्वालियर. ..... असल अनावेदक
3–राजावती पत्नि दयाराम
4–सावित्री पत्नि दाताराम
5–किरन पत्नि लाखनसिंह
6–रमेश पुत्र सेवाराम
7–नंदा पत्नि प्रकाश
8–मुन्नी पत्नि हरीशंकर
9–प्रदीप पुत्र जगदीश
10–पूजा पत्नि ओमप्रकाश
11–कृष्णा पत्नि वेदप्रकाश
12–शालिनी पत्नि अर्जुन
13–मुन्नी पत्नि हरीशंकर
निवासीगण ग्राम रानीपुरा तहसील
व जिला ग्वालियर

.....

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक– आवेदक
श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 भगवानसिंह एवं अनावेदक कमांक 2 जितेन्द्र सिंह के द्वारा ग्राम रानीपुरा की भूमि सर्वे कमांक 64, 70, 71, 72, 75 कुल किता 5 कुल सर्वे कमांक 0.687 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 23/14–15/अ–27 दर्ज कर दिनांक 5–8–2015 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–7–2016 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्न लिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया गया है तथा सह भूमि स्वामियों को नोटिस तामील नहीं कराये गये हैं । तहसील न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही जल्दबाजी में की गई है, जो अकृत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) राजस्व निरीक्षक से जो प्रतिवेदन लिया गया है, उक्त प्रतिवेदन भी एकपक्षीय रूप से परीक्षण न्यायालय के द्वारा मंगाया गया है उसके संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही उस पर उसको सुनवाई का मौका ही प्रदान किया गया है ।

(3) राजस्व निरीक्षक ग्राम पटवारी द्वारा जो फर्द बटांकन/बटवारा प्रस्तुत किया गया है वह कब्जा हिस्सा एवं सहमति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है व फर्द

अनुसार बटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है — यह आदेश में बिल्कुल असत्य तथ्य वर्णित किये गये है क्योंकि बटवारे प्रकरण में आवेदक की आपत्ति रही है और उसकी कोई सहमति उक्त फर्द बटवारे पर नहीं है और ना ही फर्द बटांकन पर है और ना ही आवेदक के द्वारा कोई सहमति दी गई है इस प्रकार तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकिया का पालन किये बिना एवं आवेदक के द्वारा अपनी आपत्ति में जो बिन्दु उठाये गये थे, उन सभी बिन्दु को दृष्टि ओझल करते हुये एवं उनका उल्लेख आदेश में नहीं करते हुये एवं प्रस्तुत आपत्ति का कोई निराकरण किये बिना तथा आपत्ति का पृथक से निराकरण किये बिना आदेश पारित किया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं होने से विधि विरूद्ध है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील में पक्षकारों का असंयोजन किया गया है क्योंकि मूल दावा विचारण न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा जितने पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया था वह उसमें हिस्से दर्शाकर पृथक पृथक बनाया था इस न्यायालय में पक्षकार अपील में नहीं बनाये जाने से असंयोजन एवं कुसंयोजन का दोष होने से इसी आधार पर अपर आयुक्त का आदेश खारिज किये जाने योग्य है ।

(5) अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील में यह स्पष्ट नहीं किया गया है किं विचारण न्यायालय से उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उसका कोई उल्लेख ही किया गया है तो प्रकिया परीक्षण न्यायालय की प्रारंभ से ही गलत थी। सीधे फर्दे मंगाई जाना भी विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखे जाने में भूल की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्न लिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू पी प्रस्तुत की गई थी, जो कि निरस्त हुई है । ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कहना कि उद्घोषणा जारी नहीं की गई है, मानने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक के अलावा अन्य किसी पक्षकार द्वारा ना तो कोई आपत्ति की और ना ही सूचना के उपरांत न्यायालय में

पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हुये इस कारण आवेदक का यह कहना कि उद्घोषणा जारी नहीं हुई, महत्वहीन है ।

(2) फर्द बटांकन एवं बटवारे के प्रकाशन का प्रश्न है इस बिन्दू पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् निराकरण किया गया है इस कारण फर्द बटांकन एवं बटवारे के प्रकाशन के संबंध में आवेदक को छोडकर किसी सहकृषक द्वारा आपत्ति नहीं की गई है तथा आवेदक द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा उद्घोषण का प्रकाशन भी विधिवत् कराया गया है तथा सभी हितबद्ध पक्षकरों को विधिवत् सूचना पत्र जारी किये गये हैं ।

(4) अनावेदक द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे में केवल वही व्यक्ति पक्षकार बनाये जाते हैं जो अभिलिखित भूमिस्वामी हो, क्योंकि अभिलिखित भूमिस्वामीयों को बटवारा कराने का अधिकार है । इस कारण तहसील न्यायालय द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है जो अभिलिखित भूमिस्वामी थे, जो व्यक्ति भूमिस्वामी ही नहीं थे उन्हें पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं था ।

(5) आवेदक द्वारा निरर्थक एवं आधारहीन तथ्य दर्शाते हुये निगरानी प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, वह विधिवत् नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में जिन लोगों की तामील नही होने का उल्लेख किया है उन व्यक्तियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील ही प्रस्तुत नहीं की थी । आवेदक की अपील पर दिया गया आदेश विधि संगत नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा निरस्त कर प्रकरण में पक्षकारों को पुनःबटवारा कराये जाने का निर्देश देना विधि विपरीत है क्योंकि यदि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा निरस्त कर प्रकरण में पक्षकारों का पुनःबटवारा कराये जाने के निर्देश देना विधि विपरीत है अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय में आवेदक की आपत्ति निरस्त हुई थी, जिसकी निगरानी आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो

कि निरस्त हो चुकी है । अतः इस परिप्रेक्ष्य के अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष सही है कि आवेदक की आपत्ति निरस्त होने के बाद तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश को खारिज करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर